कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001
फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 2552 ***बिलासपुर/दिनांक*** - 29.11.2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Diversion of 185.017 Ha. Of forest land for Chhal OC seam III 6 MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh - Regarding.

पंजीयन कोड क्रमांक FP/CG/MIN/16237/2015

संदर्भ :– आपका ज्ञा.क्रं./खनिज/1233 दिनांक 05.05.2017

––00––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उपक्षेत्र नवापारा, छाल जिला रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल में संरक्षित वन 176.710 हे., राजस्व वन 8.307 हे. की कुल 185.017 हे. की मांग कोयला उत्खनन परियोजना हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 64000/– रूपये जमा कराये गये है।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.4 तक है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है एवं वन की ***Site Quality - IV(A)*** है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार : –
   (i) प्रस्तावित कोयला खदान के लिज सीमा में गुगल मेप मे दिये गये अक्षांश देशांश के अनुसार माण्ड नदी प्रभावित हो रहा है, माण्ड नदी का प्राकृतिक जलश्रोत कोयला खदान से प्रभावित होगा। अतः कोयला खदान के आवेदित वनभूमि में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र भाग–3 में विशेष टीप संलग्न है, तदानुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित है।
   (ii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य कोयला उत्खनन हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।
   (iii) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में नारंगी वनखण्ड में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित नारंगी वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस नारंगी वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 600222/– प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. परियोजना का Cost Benefit Analysis नवीन प्रपत्र में संलग्न है। काष्ठ बेनिफिट 1:19.33 है।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

11. आवेदित क्षेत्र में Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। आवेदित क्षेत्र में खेदापाली डेम एवं मांड नदी स्थित है जो कि सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है, वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 185.017 हे. वन भूमि की साईट क्वालिटी – ***IV(A)*** एवं घनत्व 0.3 से 0.4 तक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

15. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही आवेदक संस्थान के द्वारा की जा रही है।

क्षेत्र परीक्षण में पाया गया कि, प्रस्तावित वन कक्ष के समीप वन कक्ष 477 में हाथी विचरण वर्ष में 4–5 दिन तक पाया गया है, अर्थात प्रस्तावित खदान के सीमा से 10 कि.मी. परिधि के अंतर्गत हाथी विचरण क्षेत्र स्थित है। उक्त खेदापाल डेम जलग्रहण क्षेत्र खनि क्षेत्र होने के कारण प्रभावित होकर रिजर्वायर में संग्रहित होने वाले जल की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है। प्रस्तावित खनि क्षेत्र संबंधी वेजीटेशन मैप का अवलोकलन करने पर यह ज्ञात होता है कि खनि क्षेत्र के दाहिने तरफ कुछ वृक्ष अच्छादित क्षेत्र होना पाया गया है, परन्तु उक्त क्षेत्र वन विभाग के अधिपत्य में नहीं है, अतः उक्त क्षेत्र राजस्व वन भूमि है या अन्य प्रकार की भूमि है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर राजस्व वन भूमि होने की स्थिति में उक्त भूमि की व्यपवर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा, इस संबंध में वनमंडल धरमजयगढ़ को अपने स्तर पर परीक्षण कर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्तावित ख़निज क्षेत्र की के.एम.एल. फाइल द्वारा तैयार किये गये नक्शे का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि खनि क्षेत्र के बायें तरफ सीमा में मांढ़ नदी की सीमा पर डी.जी.पी.एस. कोआर्डीनेट लिया गया है, इस प्रकार प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने पर उक्त नदी की सीमा प्रभावित होना तथा नदी के जल प्रवाह प्रभावित होने की संभावना है। इस प्रकार मांढ नदी का जल प्रवाह प्रभावित होने की स्थिति में खनन क्षेत्र के समीप विचरण करने वाले हाथी पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धरमजयगढ़ वनमंडल में विचरण किये जाने वाले हाथी मुख्य रूप से मांढ़ नदी में उपलब्ध जल पर निर्भर रहते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्र के वन्यप्राणी तथा क्षेत्र जल संसाधन, जल ग्रहण क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये विस्तृत अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र. /तक./ 2553 **बिलासपुर, दिनांक** 29.11.2017

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ (छ.ग.), 4ण प्रस्तावित खनिज क्षेत्र संबंधी वेजीटेशन मैप का अवलोकलन करने पर यह ज्ञात होता है कि खनन क्षेत्र के दाहिने तरफ कुछ सघन वृक्ष आधारित क्षेत्र होना पाया गया है, परन्तु उक्त क्षेत्र वन विभाग के अधिपत्य में नहीं है, अतः उक्त क्षेत्र राजस्व वन भूमि है या अन्य किस प्रकार की भूमि है, इस संबंध में स्वयं स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन अनुसंशा सहित 03 दिवस के अंदर प्रेषित करें।
2. आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उपक्षेत्र नवापारा, छाल जिला राजयगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर